कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, (म.प्र.) भोपाल

क्र. /नातौ./अ–1(1)/06 भोपाल, दिनांक

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप–तौल
..............................मध्य प्रदेश।

विषय :– नाप–तौल उपकरणों के निरीक्षण एवं पुनःसत्यापन हेतु मिनी शिविरों का आयोजन।

––::–::––

उपरोक्त विषयांतर्गत देखा गया है कि निरीक्षकों के द्वारा पुनःसत्यापन के शिविर नियमित रूप से नहीं लगाये जा रहे है जिससे अधिनियम के प्रवर्तन एवं राजस्व प्राप्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दिनांक 12–10–06 को मुख्यालय में आयोजित बैठक में गहन विचार विमर्ष उपरांत सभी उप/सहायक नियंत्रक नाप–तौल को यह निर्देश दिये गये है कि सभी जगह मिनी शिविरों एवं निरीक्षणों का आयोजन किया जावें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि गत वर्ष में जहां–जहां शिविर आयोजित किये गये है वहां तथा अन्य स्थानों पर, जहां आवश्यक हो मिनी शिविरों का आयोजन करें एवं सघन/प्रभावी निरीक्षण करे ताकि किसी भी व्यापारी के नाप तौल उपकरण सत्यापन से छूट न जावें, जहां तक उपकरणों का पुनः सत्यापन एक वर्ष या दो वर्ष में करने का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि नियम 1989 के संशोधन के अनुसार बांट, माप, बीम स्केल, काउंटर स्केल, मापधारित आदि का दो वर्ष के अंतराल में पुनः सत्यापन किया जाना है। इसके अतिरिक्त शेष सभी नाप तौल उपकरणों का पुनः सत्यापन एक वर्ष में होना है। आपके द्वारा आयोजित शिविर दिनांक 01–11–06 से प्रारंभ किये जावेंगे, तथा इन मिनी केम्प आयोजनों से संबंधित कार्यक्रम दिनांक 31–10–06 तक मुख्यालय को प्रेषित किया जाये। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें। व्यापारियों को वितरित किये जाने वाले सूचना पत्र का प्रारूप संलग्न हैं।

संलग्न :– एक।

नियंत्रक
नाप–तौल, म.प्र., भोपाल

पृ.क्र. /नातौ./अ–1(1)/06 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1– संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2– समस्त उप/सहायक नियंत्रक, नाप तौल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप इन मिनी शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करें।

3– अधीक्षक/स्टेनो/आडिट शाखा मुख्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक
नाप–तौल, म.प्र., भोपाल

<u>कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, (म.प्र.) भोपाल</u>

क्र. 4520/नातौ./अ–1(1)/06 भोपाल, दिनांक : 19.10.2006

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप–तौल
..............................मध्य प्रदेश।

विषय :– नाप–तौल उपकरणों के निरीक्षण एवं पुनःसत्यापन हेतु मिनी शिविरों का आयोजन।

––::–::––

उपरोक्त विषयांतर्गत देखा गया है कि निरीक्षकों के द्वारा पुनःसत्यापन के शिविर नियमित रूप से नहीं लगाये जा रहे है जिससे अधिनियम के प्रवर्तन एवं राजस्व प्राप्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दिनांक 12–10–06 को मुख्यालय में आयोजित बैठक में गहन विचार विमर्ष उपरांत सभी उप/सहायक नियंत्रक नाप–तौल को यह निर्देश दिये गये है कि सभी जगह मिनी शिविरों एवं निरीक्षणों का आयोजन किया जावें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि गत वर्ष में जहां–जहां शिविर आयोजित किये गये है वहां तथा अन्य स्थानों पर, जहां आवश्यक हो मिनी शिविरों का आयोजन करें एवं सघन/प्रभावी निरीक्षण करे ताकि किसी भी व्यापारी के नाप तौल उपकरण सत्यापन से छूट न जावें, जहां तक उपकरणों का पुनः सत्यापन एक वर्ष या दो वर्ष में करने का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि नियम 1989 के संशोधन के अनुसार बांट, माप, बीम स्केल, काउंटर स्केल, मापधारित आदि का दो वर्ष के अंतराल में पुनः सत्यापन किया जाना है। इसके अतिरिक्त शेष सभी नाप तौल उपकरणों का पुनः सत्यापन एक वर्ष में होना है। आपके द्वारा आयोजित शिविर दिनांक 01–11–06 से प्रारंभ किये जावेंगे, तथा इन मिनी केम्प आयोजनों से संबंधित कार्यक्रम दिनांक 31–10–06 तक मुख्यालय को प्रेषित किया जाये। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें। व्यापारियों को वितरित किये जाने वाले सूचना पत्र का प्रारूप संलग्न हैं।

संलग्न :– एक।

नियंत्रक
नाप–तौल, म.प्र., भोपाल

पृ.क्र. 4521/नातौ./अ–1(1)/06 भोपाल, दिनांक 19.10.2006

प्रतिलिपि :–

1— संयुक्त नियंत्रक / दाशमिक अधिकारी मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2— समस्त उप / सहायक नियंत्रक, नाप तौल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप इन मिनी शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करें।

3— अधीक्षक / स्टेनो / आडिट शाखा मुख्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक
नाप—तौल, म.प्र., भोपाल

20—ब—ब—11
रेवेन्यु (हिन्दी)_

मध्य प्रदेश शासन
विधिक माप विज्ञान
(नाप–तौल विभाग)
बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985
व्यापारियों को नोटिस

क्रमांक................... **दिनांक.................**

प्रेषक,

निरीक्षक,
नाप–तौल.
....

प्रति,

श्री / मैं.......................................
....

विषयः– बांट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत बांट, माप आदि के पुनः सत्यापन तथा मुद्रांकन संबंधी।

––::00::––

बांट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 की धारा 24 (2) एवं 26 / 3 के प्रावधानों के अंतर्गत आपके संस्थान में उपयोग में लाये जाने वाले या उपयोग के लिये आशयित बांट माप एवं नाप–तौल उपकरणों का निम्नानुसार अंतराल में पुनःसत्यापन एवं मुद्रांकन आपके द्वारा कराया जाना अनिवार्य है।

(अ) **24 माह की अवधि में** :– बांट बुलियन तथा केरेट बांट सहित बीम स्केल, काउंटर मशीन, तराजू माप धारिता (डुबोने वाले, उड़ेलने वाले एवं कोनीकल माप)

(ब) **12 माह की अवधि में** :– उपरोक्त ''अ'' में वर्णित बांट माप एवं तौल उपकरणों को छोड़कर शेष समस्त।

(स) ऐसे सत्यापित एवं मुद्रांकित बांट माप एवं माप तौल उपकरण जिनको विधिमान्यता अवधि समाप्त होने कें पूर्व ही सुधारा गया हैं।

उपर्युक्त प्रावधानों का पालन न करने पर अधिनियम की धारा 47 एवं 59 का जो भी जागू हो का उल्लघंन माना जावेगा।

अतः आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आप अपने समस्त बांट, माप एवं नापतौल उपकरणों जिनका कि पुनःसत्यापन तथा मुद्रांकन उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना है को मेरे.......................................स्थित कार्यालय / मुद्रांकन केंद्र में दिनांक.......................................को पुनःसत्यापन तथा मुद्रांकन के लिये प्रस्तुत करें।

ऐसे सत्यापन तथा मुद्रांकन के संबंध में ली जाने वाली शुल्क की दरें वही होगी, जो मध्यप्रदेश बांट व माप (प्रवर्तन) नियम, 1989 के नियम 17 (1) के अंतर्गत अनुसूची बारह में निर्धारित की गई है और उनके अग्रिम रूप में जमा करना होगा।

निरीक्षक
विधिक माप विज्ञान
(नाप–तौल)
केन्द्र........................

केन्द्र...............शाप्रामुखा–622–फॉम्स––20–4–91––50,00,000